# FORM - III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर**

**मलकीत सिंह बनाम गुरमीत सिंह**

**किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 15 सन् 2022**

| तामिल हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | प्रार्थी मलकीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 1 ओ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 1 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 43/43 के मुरब्बा नम्बर 27, 41, 66/8 की कुल 1.771 हेक्टैयर भूमि में से 0.084 हेक्टैयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। | |
| 30/01/23 | आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रार्थी का कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible] | |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:25 IST
Reason: SelfAttested